दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
शोध अध्यादेश, 2018
(पी–एच0डी0 शोध उपाधि के लिये न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश, 2018
(पी–एच0डी0 शोध उपाधि के लिये न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05 मई, 2016 को निर्गत किया गया तथा जो भारत के राजपत्र संख्या 278 साप्ताहिक) 05 जुलाई, 2016 में प्रकाशित होने की तिथि से लागू है। इस सन्दर्भ में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28.06.2017 द्वारा स्वीकृत डाक्टर आफ फिलासफी (पी–एच0डी0) अध्यादेश, 2016 के प्रारूप में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 24.08.2018 को प्रेषित पत्र (संख्या 7/2018/266/सतर–1–2018–16(74)/2018) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 66 (क) के अन्तर्गत जारी प्रदत्त आदेश के अनुपालन में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपर्युक्त विनियम 2016 में किये गये प्रथम तथा द्वितीय संशोधन के उपरान्त पारित पी–एच0डी0 शोध अध्यादेश निम्नवत् है–

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन–

1.1 इस अध्यादेश को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश, 2018 (पी–एच0डी0 शोध उपाधि के लिये न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया) कहा जायेगा।

1.2 यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध शोध के लिए अर्ह स्नातकोत्तर महाविद्यालयों पर लागू होगा।

1.3 **यह अध्यादेश दिनांक 11 दिसम्बर 2018 की तिथि से प्रवृत माना जायेगा।**

2. पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता

डॉक्टर आफ फिलासफी (पी–एच0डी0) की उपाधि के लिये प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः सम्बन्धित विषय में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की परास्नातक की उपाधि या/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान की समतुल्य उपाधि धारित करनी होगी।

3. पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम एवं अर्हताएं–

पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शोध पात्रता परीक्षा (Research Eligibility Test) का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त सीटों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अभ्यर्थी को सम्बन्धित विभाग के निर्देशानुसार इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित होना होगा। शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी शोध पंजीकरण हेतु कुलसचिव द्वारा निर्गत शोध पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण–पत्र पर अंकित तिथि से दो वर्ष तक अर्ह होंगे।

3.1 शोध पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हतायें निम्नवत् होंगी–

अ. योग्यता प्रदायी परास्नातक परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, दृष्टि बाधित एवं दिव्यांगों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक होगा।

ब. स्नातक स्तर पर द्वितीय श्रेणी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार प्राप्तांक होना आवश्यक होगा।

स. परास्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी भी शोध पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं किन्तु शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण कर अपेक्षित अर्हताएं पूरी करना आवश्यक होगा।

3.2 यू0 जी0 सी0– सी0 एस0 आई0 आर0 द्वारा चयनित जे0आर0एफ0/नेट, गेट, यू0पी0स्लेट एवं एम0 फिल0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त नहीं होंगे।

जो शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ धारक हैं अथवा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध/सम्पृक्त/संघटक महाविद्यालयों में शिक्षक हैं, वे शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे।

अननुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षक शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त नहीं होंगे।

विदेशी छात्र/प्रवासी भारतीय भी शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त नहीं होंगे।

3.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों के नियमित शिक्षक जो अपने दूतावास/उच्चायोग द्वारा संस्तुत किये गये हों एवं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रतिरक्षा कर्मी/अधिकारी शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे।

3.4 विश्वविद्यालयों के शिक्षक/प्रवासी भारतीय अभ्यर्थियों के शुल्क का ढाँचा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3.5 प्रत्येक विषय में शोध पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर का होगा, जिसके लिए मानक विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय समय–समय पर अन्य मानक तय कर सकता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा शासन के आदेश व शर्तों के अनुरूप हों।

3.6 ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान के एम0फिल0 उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित हैं, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एवं प्रत्यायित हैं, जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे। इन्हें भी शोध पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।

4. पाठ्यक्रम की अवधि :

पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम तीन वर्ष की होगी, जिसमें प्री पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी सम्मिलित होगा।

4.1. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को एक माह के अन्तर्गत पुनः पंजीकरण का आवेदन देना होगा। शोध की कुल अवधि किसी भी दशा में छः वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4.2. महिला अभ्यर्थी तथा निःशक्त व्यक्ति (जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हें पी–एच0डी0 के लिए अधिकतम् दो वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को शोध उपाधि समिति की संस्तुति पर पी–एच0डी0 की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

5. शोध प्राठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रक्रिया

विश्वविद्यालय में वार्षिक आधार पर पूर्व निर्धारित रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश, प्रत्येक वर्ष आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जायेगा जो उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं पर निर्भर करेगा। इसमें प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा अन्य ऐसी सुविधाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपर्युक्त विनियम 2016 में निर्धारित मानदण्ड का ध्यान दिया जायेगा।

5.1. प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषयवार विवरण, प्रवेश के मानदण्ड एवं प्रक्रिया, परीक्षा–केन्द्र तथा अन्य संगत सूचनाएँ अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित किया जायेगा, जिनमें न्यूनतम एक समाचार पत्र हिन्दी भाषा का होगा। प्रकाशित शोध रिक्तियों की संख्या अनंतिम होगी जिसमें वृद्धि अथवा कमी हो सकती है।

5.2. प्रवेश प्रक्रिया में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथानुसार अनुपालन किया जायेगा।

5.3. प्रवेश, समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य सम्बन्धित सांविधिक निकायों द्वारा शोध के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा–निर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए किये जायेंगे।

5.4. शोध पात्रता परीक्षा दो चरणों (लिखित/आनलाइन टेस्ट एवं साक्षात्कार) में सम्पन्न होगी जिसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा/आनलाइन टेस्ट 140 अंकों की तथा साक्षात्कार 60 अंक का होगा।

लिखित परीक्षा/आनलाइन टेस्ट में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए अर्ह होंगे लेकिन एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0(नान क्रिमीलेयर) /दिव्यांग(निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक) अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

यू0जी0सी0(पी0एच–डी0 डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मापदण्ड एवं प्रकिया) (प्रथम संशोधन) विनियम 2018 दिनांक 27 अगस्त 2018 के प्रावधानों के अनुसार "यदि उपर्युक्त छूट के बावजूद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(नान क्रिमीलेयर) /निःशक्त श्रेणियों के लिए आवंटित सीटें खाली रह जाती हैं तो सम्बन्धित विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकिया के समाप्त हो जाने के एक माह के भीतर उस विशिष्ट श्रेणी के लिए विशेष प्रवेश अभियान चलायेगा तथा अपनी स्वयं की प्रकिया के साथ ही अर्हता शर्तें तैयार करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन श्रेणियों में से अधिकांश सीटें भरी जा सकें।"

5.5 लिखित परीक्षा/आनलाइन टेस्ट 1:30 घण्टे की अवधि की होगी जिसमें 70 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें 35 प्रश्न शोध पद्धति एवं शेष 35 प्रश्न विषय से सम्बन्धित होंगे। लिखित परीक्षा/आनलाइन टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

5.6 प्रवेश परीक्षा पहले से ही अधिसूचित केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। इन केन्द्रों और तिथि में किसी प्रकार के परिवर्तन की जानकारी समय के पूर्व ही अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी।

5.7. लिखित परीक्षा/आनलाइन टेस्ट में अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग की **विभागीय शोध समिति** द्वारा एक साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा जिसमें अभ्यर्थियों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार में सम्मलित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शोध रुचि/क्षेत्र पर समिति के सदस्यों से समुचित विचार–विमर्श करें।

5.8. विभागीय शोध समिति साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों का 60 अंकों में मूल्यांकन कर उनके द्वारा अर्जित अंकों का विवरण समन्वयक, शोध पात्रता परीक्षा को प्रेषित करेगी। साक्षात्कार में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा–

i. क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिये क्षमता है ?

ii. क्या प्रस्तावित शोध कार्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सुगमतापूर्वक किया जा सकता है ?

iii. क्या प्रस्तावित शोध क्षेत्र द्वारा विषय में नवीन/अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त हो सकता है ?

5.9. लिखित परीक्षा/आनलाइन टेस्ट एवं साक्षात्कार परीक्षा के संयुक्त अंकों के आधार पर विषयवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची संवर्गवार तथा वरीयता क्रम में प्रकाशित की जायेगी।

5.10. **अधिभार(वेटेज)**- शोध पात्रता परीक्षा में निम्नानुसार अधिभार देय होगा

क. यू0जी0सी0– सी0एस0आई0आर0 द्वारा चयनित जे0आर0एफ0/नेट, गेट, यू0पी0स्लेट अभ्यर्थियों को 05 प्रतिशत अधिभार देय होगा।

ख. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से परास्नातक उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 05 प्रतिशत अधिभार देय होगा।

ग. विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी पाल्यों को 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा।

घ. सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को 05 प्रतिशत अधिभार देय होगा।

किसी भी दशा में अधिकतम अधिभार 10 प्रतिशत देय होगा।

5.11 चयनित अभ्यर्थी शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सम्बन्धित विभाग में अपनी अर्हता तथा शोध हेतु प्रस्तावित विषय का विवरण देते हुए आवेदन करेंगे जिसपर विभागीय शोध समिति उनके लिए शोध पर्यवेक्षक का नियमानुसार निर्धारण करते हुए उन्हें प्री0 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी अपने शोध प्रस्ताव (Synopsis) एवं प्री0 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम का शुल्क जमा करेंगे।

5.12. प्री पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होगा। सामान्यतः यह वर्ष में 02 बार (जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर) संचालित होगा। प्रवेशित छात्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत शोध प्रस्ताव (Synopsis) में आवश्यक सुधार प्री पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम के दौरान कर सकेंगे। शोध में पंजीकरण के उपरान्त नहीं।

5.13. प्री पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्र ही शोध कार्य के लिए पंजीकृत किये जायेंगे। पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव पर विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पर शोध उपाधि समिति का अनुमोदन आवश्यक है।

5.14. पी–एच0डी0 के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वार्षिक आधार पर किया जायेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि सम्मिलित होगा।

5.15 शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी को शोध पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रवेश प्राप्त हो जायेगा। विश्वविद्यालय को शोध पर्यवेक्षक की अनुपलब्धता सहित अन्य कारणों से किसी भी शोध कार्यक्रम में प्रवेश स्थगित करने/रखने का अधिकार होगा।

6. शुल्क

प्री पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम तथा शोध पाठ्यक्रम का शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमो के अनुसार देय होगा।

क. प्री पीएच0डी0 शुल्क – 5100.00

ख. पी–एच0डी0 शुल्क (छः माह हेतु)

प्रायोगिक विषय		**अप्रायोगिक विषय**	
विकास शुल्क	100	विकास शुल्क	100
यूनियन शुल्क	50	यूनियन शुल्क	50
पत्रिका शुल्क	50	पत्रिका शुल्क	50
डेलीगेसी शुल्क	50	डेलीगेसी शुल्क	50
परिचय पत्र	50	परिचय पत्र	50
क्रीड़ा शुल्क	50	क्रीड़ा शुल्क	50
पुस्तकालय शुल्क	150	पुस्तकालय शुल्क	150
निर्धन छात्र सहायता शुल्क	50	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	50
काशनमनी	200	काशनमनी	150
साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50	साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50
कक्षा शुल्क	900	कक्षा शुल्क	900
पंखा शुल्क	50	पंखा शुल्क	50
चुनाव शुल्क	35	चुनाव शुल्क	35
महंगाई शुल्क	138	महंगाई शुल्क	138
चिकित्सा शुल्क	22	चिकित्सा शुल्क	22
प्रयोगात्मक शुल्क	500	————————	——
योग	**2445**	योग	**1895**

7. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण :

शोध पर्यवेक्षक, सह पर्यवेक्षक हेतु पात्रता मानदण्ड एवं प्रति पर्यवेक्षक अनुमन्य पी–एच0डी0 शोधार्थियों की संख्या आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम प्रभावी होंगे–

7.1. विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग युक्त अनुदानित महाविद्यालय का पी.एच.डी. धारक नियमित शिक्षक जिसने परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो तथा जिसके सम्बन्धित विषय की संदर्भित शोध पत्रिकाओं में – सहायक एवं सहआचार्य हेतु न्यूनतम 2 एवं आचार्य हेतु न्यूनतम 5 शोध पत्र प्रकाशित हों, वह शोध पर्यवेक्षण हेतु विभागीय शोध समिति की संस्तुति के आधार पर अर्ह होगा।

7.2. विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत शिक्षकों एवं सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों के पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही शोध पर्यवेक्षक होंगे। वाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है तथापि विश्वविद्यालय के अन्य विभागों अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों के अन्तर्विषयी क्षेत्रों में सह–पर्यवेक्षकों को विभागीय शोध समिति की संस्तुति पर शोध उपाधि समिति द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है। महाविद्यालयों के स्नातक विभागों में कार्यरत तथा बिन्दु संख्या 7.1 में वर्णित अर्हता रखने वाले शिक्षक भी विभागीय शोध समिति के निर्णयानुसार सह–पर्यवेक्षक के रूप में नामित किये जा सकेंगे।

7.3. ऐसे शोध शीर्षक हेतु जो अन्तर्विषयी स्वरूप के है, जहाँ सम्बन्धित विभागीय शोध समिति अनुभव करती है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता के बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध–पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा तथा अन्य विभाग से एक सह–पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जायेगी, जिसकी अनुमति सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय आपसी सहमति के आधार पर प्रदान करेंगे।

7.4. किसी एक समय के दौरान आचार्य पद पर नियुक्त शिक्षक अधिकतम् आठ, सह–आचार्य छः एवं सहायक आचार्य अधिकतम् चार पी–एच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते है। शोध छात्र की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में स्थान रिक्त माना जायेगा।

7.5. विवाह अथवा अन्य किसी कारण से पी–एच0डी0 कर रही किसी महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर शोध आँकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान, जहाँ महिला शोधार्थी जाना चाहे, में अन्तरित करने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि उस विश्वविद्यालय/संस्थान में इन विनियमों के अन्य सभी निबन्धनों एवं शर्तों का शब्दशः पालन किया जाय तथा सम्बन्धित शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेन्सी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान को मार्गदर्शन एवं शोध कार्य में पूर्व में किये गये योगदान के लिए पूर्ण श्रेय देगा।

8–पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य :

8.1 प्रवेश प्राप्त करने पश्चात् प्रत्येक पी–एच0डी0 शोध अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय परिसर के सम्बन्धित विभाग/विषय में न्यूनतम एक सेमेस्टर की अवधि तक पाठ्यक्रम कार्य(प्री पी–एच0डी0 कोर्स) करना होगा। यह पाठ्यक्रम कार्य पी–एच0डी0 की प्रारम्भिक तैयारी माना जायेगा, जो मूलतः शोध पद्धति का पाठ्यक्रम होगा, जिसमें परिमाणात्मक पद्धति एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग सम्मिलित होगा। इसमें उपर्युक्त चयनित शोध–क्षेत्र में किये गये शोध प्रकाशनों की समीक्षा

भी सम्मिलित है। प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम कार्य (Course Work) न्यूनतम छः माह का होगा, जिसका प्रारुप निम्नवत् होगा–

i. इस पाठ्यक्रम में दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रथम प्रश्नपत्र शोध पद्धति (Research Methodology) का 100 अंकों/5 क्रेडिट का होगा, जिसमें सम्बन्धित विषय की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विधियों, उपागमों, क्षेत्र–अध्ययन, सूचनाओं के संकलन एवं विश्लेषण, साहित्य समीक्षा एवं रिपोर्ट राइटिंग का अध्ययन सम्मिलित होगा।

ii. द्वितीय प्रश्नपत्र कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Computer Application) का 100 अंकों/5 क्रेडिट का होगा, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में आधारभूत ज्ञान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायेगा।

8.2. विभिन्न विषयों में शोध पद्धति एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग के प्रश्नपत्रों हेतु पाठ्यक्रम की रचना सम्बन्धित विभाग की पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जायेगी। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के प्राधिकृत शैक्षणिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त किये जायेंगे।

8.3. एम0फिल0 उपाधिधारक अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय के पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त हो गया है अथवा जिन्होंने पहले ही एम0फिल0 में पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें विभाग द्वारा प्रीपी–एच0डी0 पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों के प्रकरण में प्राप्त निम्नलिखित विधिक अभिमत को समाहित किया जाता है–

"If the candidate has completed his/her Pre Ph.D. Course Work recognised by any Institution/University and thereafter transferred to any other such university shall not be required to complete his/her Pre Ph.D. Course Work again provided both Institution/Universitiy, where the candidate was already enrolled and where the candidate is transferred are recognised by the University Grants Commission (UGC)."

8.4. प्रत्येक अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से निर्धारित अवधि तक पूर्ण करना होगा, जिसमें उसकी उपस्थिति किसी भी दशा में 75 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

8.5. पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा संकायाध्यक्ष के संयोजकत्व में सम्बन्धित संकाय के सभी विभागों के स्तर पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। न्यूनतम उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत अंक का होगा।

8.6. पाठ्यक्रम के अन्तिम चरण में अभ्यर्थी शोध सलाहकार समिति (R.A.C.) द्वारा निर्दिष्ट विषय/शीर्षक पर निर्दिष्ट शोध पर्यवेक्षक की सहायता से अपना शोध प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसे प्री पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पंजीकरण हेतु विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पर शोध उपाधि समिति (R.D.C.) को अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा।

8.7. यदि कोई अभ्यर्थी प्री पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम की परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे अगली परीक्षा में तत्सम्बन्धी शुल्क जमा करने के साथ सम्मिलित होने का एक अवसर और प्राप्त होगा। इसमें भी असफल हो जाने पर उसे कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

8.8. परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के मुद्रण, परिसीमन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा करायी जायेगी।

8.9 प्री–पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को एक प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा– ''श्री/सुश्री/श्रीमती ..... को विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पर शोध कार्यक्रम (Research Programme) में अस्थायी रूप से प्रवेश देते हुए प्री–पी–एच0डी0 कोर्स करने की अनुमति प्रदान की जाती है।'' यह प्रमाण पत्र शोध पर्यवेक्षक की संस्तुति तथा विभागाध्यक्ष के अग्रसारण पर संबंधित संकाय के अधिष्ठाता द्वारा निर्गत किया जायेगा।

9. विभागीय शोध समिति, शोध सलाहकार समिति, शोध उपाधि समिति एवं इसके प्रकार्य–

9.1. **विभागीय शोध समिति (DRC)**– विभागीय शोध समिति (Departmental Research Committee) का स्वरूप विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अनुच्छेद 8.13 में वर्णित विभागीय समिति के अनुरूप ही होगा जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे–

i. शोध पर्यवेक्षकों की अर्हता सम्बन्धी प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति प्रदान करना।

ii. शोध पात्रता हेतु लिखित परीक्षा के उपरान्त आयोजित साक्षात्कार में अभ्यर्थियों की योग्यता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना।

iii. शोध पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के शोध पर्यवेक्षक एवं / अथवा सह–पर्यवेक्षक का निर्धारण करना।

9.2 **शोध सलाहकार समिति (RAC) :** प्रत्येक शोधार्थी के लिए एक शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee) होगी। शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक इस समिति का संयोजक होगा। उसकी संस्तुति पर विभागाध्यक्ष विभाग के दो अन्य शोध पर्यवेक्षकों को इसका सदस्य नामित करेंगे। जिन विभागों में अपेक्षित संख्या में शोध पर्यवेक्षक नहीं हैं वहां संकायाध्यक्ष अतिरिक्त सदस्यों को नामित करेंगे। इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे–

i. शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अन्तिम रूप देना।

ii. शोधार्थी को अध्ययन ढाँचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किये जाने वाले पाठ्यक्रम की पहचान कराना।

iii. शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

शोधार्थी छः माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन हेतु अपने कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति छः मासिक प्रगति रिपोर्ट संस्थान को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को प्रेषित करेगी। यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल रहता है तो समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रदद् करने के विशिष्ट कारण रेखांकित करते हुए शोध उपाधि समिति को इसकी सिफारिश प्रेषित कर सकती है।

9.3. **शोध उपाधि समिति** (RDC)

कुलपति की अध्यक्षता में प्रत्येक विषय के विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित संकायाध्यक्ष की एक समिति होगी, जो शोधार्थियों के पंजीकरण, शोध–प्रगति तथा शोध कार्य के मूल्यांकन की व्यवस्था करेगी।

10. शोध उपाधि मूल्यांकन एवं तत्सम्बन्धी मानदण्ड–

10.1. शोध प्रबन्ध को जमा करने से पूर्व शोधार्थी सम्बन्धित विषय के अध्यक्ष एवं शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा, जिसमें विभाग के सभी शिक्षक एवं शोधार्थियों की उपस्थिति अपेक्षित होगी। इसमें प्राप्त टिप्पणियों, संशोधनों(जिसमें शोध प्रबन्ध तथा इसके शीर्षक को और अधिक औचित्यपूर्ण एवं युक्तिसंगत बनाने हेतु) एवं सुझावों को शोध पर्यवेक्षक के निर्देश पर शोध प्रबन्ध में यथास्थान सम्मिलित किया जायेगा।

10.2. शोध–प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व पी–एच0डी0 शोधार्थी सन्दर्भित पत्रिका (Refereed Journal) में न्यूनतम एक शोध–प्रपत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित करायेगा तथा सम्बन्धित विषय के सम्मेलनों, संगोष्ठियों में सहभागिता के साथ न्यूनतम दो शोध प्रपत्र प्रस्तुत भी करेगा। प्रकाशित शोध प्रपत्र की छायाप्रति एवं शोध–प्रपत्र प्रस्तुतीकरण का प्रमाण पत्र भी शोध प्रबन्ध के अन्त में सम्मिलित किया जायेगा।

10.3. शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी अपने कार्य की मौलिकता के प्रमाणन हेतु एक घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जायेगा कि प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गयी है तथा यह शोध कार्य अपने विश्वविद्यालय, किसी विभाग अथवा अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान में किसी भी अन्य उपाधि या डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10.4. सामान्यतया अभ्यर्थी के इस आवेदन पर कि सम्भावित है कि वह अपना शोध प्रबन्ध छः माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर देगा, उसका निर्देशक, पाठ्यक्रम समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु विभागाध्यक्ष को शोध–प्रबन्ध के परीक्षण के लिये छः परीक्षकों का एक पैनल प्रस्तावित करेगा, जिसमें निर्देशक/सह–निर्देशक के नाम के अतिरिक्त पाँच नाम उन बाह्य परीक्षकों के होंगे, जिनका पद विश्वविद्यालय आचार्य का होगा अथवा जो सम्बन्धित विषय के ख्यातिलब्ध अध्येता होंगे। इन बाह्य परीक्षकों में दो अनिवार्यतः राज्य के बाहर के होंगे। इनमें एक परीक्षक देश के बाहर का भी हो सकता है। केवल उन्हीं बाह्य परीक्षकों के नाम संस्तुत किये जायेंगे, जिन्होंने सम्बन्धित शोध क्षेत्र में कार्य किया हो और/अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में शोध पर्यवेक्षण किया हो।

10.5. निर्देशक के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पाठ्यक्रम समिति, शोध उपाधि समिति/परीक्षा समिति के अध्यक्ष कुलपति के समक्ष परीक्षकों का पैनल प्रस्तुत करेगी। कुलपति तीन परीक्षक नियुक्त करेंगे, जिसमें एक परीक्षक, शोध पर्यवेक्षक होगा। यदि किसी दशा में कोई परीक्षक शोध–प्रबन्ध का मूल्यांकन नहीं कर पाता है अथवा मौखिक परीक्षा में परीक्षक अभ्यर्थी का परीक्षण नहीं कर सकता है तो उसी पैनल से दूसरे परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

10.6. शोध प्रबन्ध पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी निर्देशक एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से शोध–प्रबन्ध की चार मुद्रित/टंकित प्रतियाँ विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग में निर्देशक के इस आशय के प्रमाण–पत्र के साथ जमा करेगा कि यह शोध कार्य उसके निर्देशन में सम्पन्न हुआ है और यह शोधार्थी के स्वयं का

मौलिक कार्य है और उसने निर्धारित अवधि तक शोध कार्य किया है। शोध प्रबन्ध का मुद्रण/टंकण दोनों पृष्ठों पर किया जायेगा। शोध–प्रबन्ध के साथ ही इसकी दो साफ्टकॉपियाँ, दो Compact Disk (C.D.) में भी जमा की जायेगी।

10.7. विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से सम्बन्धित शोध–प्रबन्धों के बाह्य आवरण का रंग (Colour) निम्नवत् निर्धारित है–

1. कला संकाय	–	मैरून
2. विज्ञान संकाय	–	नीला
3. वाणिज्य संकाय	–	पीला
4. शिक्षा संकाय	–	गुलाबी
5. विधि संकाय	–	काला
6. औषधि संकाय	–	श्वेत
7. कृषि संकाय	–	हरा

10.8. शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक अपनी आख्या अलग–अलग प्रस्तुत करेंगे। अपनी–आख्या देने से पूर्व परीक्षक एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। शोध आख्या लिखते समय परीक्षक को सन्तुष्ट होना होगा कि–

i. प्रस्तुत कार्य शोध की ऐसी कृति है, जिसकी विशिष्टता या तो नये तथ्यों का अन्वेषण है अथवा ज्ञात तथ्यों एवं सिद्धान्तों की व्याख्या के प्रति नया उपागम है। शोध प्रबन्ध से अभ्यर्थी में समीक्षात्मक परीक्षण और परिपक्व निर्णय की क्षमता परिलक्षित होती है एवं

ii. साहित्यिक प्रस्तुति का स्तर मानक के अनुरूप एवं स्वीकार्य है तथा यह प्रकाशन के योग्य हो।

शोध प्रबन्ध की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु परीक्षक ऐसे सुझाव दे सकते हैं जो उनकी दृष्टि में उपयुक्त हो। शोधार्थी को ऐसे सुझाव मौखिक–परीक्षा के समय परीक्षक द्वारा प्रदान किये जायेंगे, जिसे शोध–प्रबन्ध के प्रकाशन के समय सम्मिलित भी किया जा सके।

10.9. परीक्षक शोध–प्रबन्ध मूल्यांकित करने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे कि शोध–प्रबन्ध को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाय अथवा अभ्यर्थी को इस बात की अनुमति प्रदान की जाय कि वह अपने शोध–प्रबन्ध को पुनः संशोधित रूप में प्रस्तुत करे। यदि सभी परीक्षक अलग–अलग यह आख्या देते हैं कि शोध प्रबन्ध संतोषप्रद है तो शोध उपाधि समिति (R.D.C.) के निर्देश पर अभ्यर्थी की मौखिकी परीक्षा आयोजित की जायेगी।

10.10. किसी एक बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश न किये जाने पर कुलपति परीक्षकों के पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध–प्रबन्ध के परीक्षण हेतु नियुक्त करेंगे।

नये परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो शोध–प्रबन्ध को अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

10.11. **मौखिकी परीक्षा के परीक्षक अपनी आख्या में स्पष्ट उल्लिखित करेंगे–**

i. यह कि शोध प्रबन्ध सही अर्थों में अभ्यर्थी की कृति है और

ii. यह कि अभ्यर्थी विषय से सम्बन्धित साहित्य से परिचित है।

iii. यह कि अभ्यर्थी में समीक्षात्मक परीक्षण और परिपक्व निर्णय की क्षमता परिलक्षित होती है।

10.12. शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित आख्यायें और मौखिक परीक्षकों की आख्यायें शोध उपाधि समिति के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

10.13. शोध उपाधि समिति की संस्तुति के अधिकतम एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा इस आषय की अधिसूचना निर्गत कर दी जायेगी। अधिसूचना की तिथि ही शोध उपाधि प्राप्त होने की तिथि मानी जायेगी।

10.14. शोध–प्रबन्ध के प्रकाशित होने पर अभ्यर्थी को मुखपृष्ठ पर यह उल्लेख करना होगा कि यह शोध प्रबन्ध दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की अमुक विषय की पी–एच0डी0 उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया है।

10.15. विश्वविद्यालय शोध–प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु ऐसी पद्धति विकसित करेगा, जिसमें शोध प्रबन्ध जमा होने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर शोध–प्रबन्ध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय।

11. पी–एच0डी0 पाठ्यक्रमों हेतु महाविद्यालयों में आवश्यक शैक्षणिक अवसंरचनात्मक सुविधायें :

11.1. उन्हीं वित्तपोषित स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु पात्र माना जायेगा जो यू0जी0सी0 विनियमों के अनुरूप शोध पर्यवेक्षकों की उपलब्धता, अपेक्षित अवसंरचना एवं सहायक प्रशासनिक एवं शोध सम्बर्धन सुविधाओं से युक्त हों।

11.2. इन महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग, जिनमें कम से कम दो पी–एच0डी0 उपाधि प्राप्त शिक्षक/वैज्ञानिक तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ हों, जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विधाओं के मामले में नवीनतम् उपकरणों से सुसज्जित विशिष्ट शोधशालायें हों, जिनमें प्रति शोधार्थी हेतु पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हो, साथ ही कम्प्यूटर सुविधायें तथा अनिवार्य साफ्टवेयर तथा सतत विद्युत एवं जलापूर्ति की व्यवस्था हो।

11.3. इन महाविद्यालयों में नवीनतम् पुस्तकों सहित ग्रन्थालय संसाधन, भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल, ई–जर्नल, सभी विधाओं हेतु विस्तारित कार्य घंटे, विभाग/ग्रन्थालय में शोधार्थियों हेतु पठन, लेखन हेतु पर्याप्त स्थान, अध्ययन तथा शोध सामग्री के भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए।

12. **विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा पद्धति** के माध्यम से पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा। अंशकालिक आधार पर भी पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम संचालित नहीं होगा।

13. इन्फलिबनेट के साथ डिपोजिटरी :

13.1. पी–एच0डी0 उपाधियों को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा पी–एच0डी0 उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व विष्वविद्यालय पी–एच0डी0 शोध प्रबन्ध की एक इलेक्ट्रानिक प्रति इन्फलिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा, ताकि सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तक इनकी पहुँच बनाई जा सके।

13.2. पी–एच0डी0 उपाधि को प्रदान करने से पूर्व इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण पत्र देय होगा कि उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गयी है।